न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 66/16 GCMS NO 2016/00071

कमलेश पुत्र रंगलाल जाति कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. लच्छा पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. घन्टूरी पत्नि कंवरिया जाति कुम्हार निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
3. भरोसी
4. गिर्राज जातियान कुम्हार पिसरान कंवरिया निवासीयान तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
5. ओमी पुत्र रंगलाल
6. उगन्ती बेवा रंगलाल जातियान कुम्हार निवासीयान तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 38/09 निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2016 न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री शिवचरण शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 1 की और से विजेन्द्र सिह गुर्जर

रेस्पो0 2 ता 6 की और से श्री रामदयाल त्रिवेदी

दिनांक 28.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.16 न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 5 के पिता एवं 6 के पति रंगलाल द्वारा दावा बाबत घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पति व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता कंवरिया के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 274 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम तलावडा मे सम्वत 2027 से 2030 मुताबिक जमाबंदी रही है। जिसके वे खातेदार काश्कार टीनेन्ट व साबिक ख0न0 के हाल नवीन न0 ... 53 है0, 702 रकबा 0.80 है0, 753 रकबा 0.21 है0, 754 रकबा 0.12 है0 ... 0 बनाये गये है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा है और प्रतिवादी संख्या 3 के पति व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता कंवरिया का

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्सा 1/2 है। भूमि साबिक ख0न0 281 रकबा 23 बीघा 6 विस्वा का हाल ख0न0 756,757,759,760,763 बनाये गये है। हाल सेटलमेट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी व प्रफोर्मा पक्षकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की भूमि जो उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी मे से रकबा 6 ऐयर कम कर दिया। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। कम किये गये रकबे को प्राप्त करने का वादी को अधिकार प्राप्त है। सेटलमेंट विभाग द्वारा कम की गई भूमि रकबा 6 ऐयर को प्रतिवादी संख्या 1 के ख0न0 756 मे गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जिसका उनको अधिकार प्राप्त नही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साबिक ख0न0 281 मिन का हाल ख0न0 756 को देखने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के ख0न0 756 मे दर्ज कर दी गई और गलत नक्शा शीट बनाया गया है। इस प्रकार वादी की 6 ऐयर रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नक्शा शीट को गलत रूप से बनाकर दर्ज किया गया है वह नल एण्ड वोईड होने के कारण निरस्त योग्य है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि ख0न0 754 मे पेड लगा रखे है प्रतिवादी उसे जबरदस्ती कांटने पर आमादा है तथा वादी के हिस्से की 6 ऐयर जमीन को जबरदस्ती कही रहन बय करने की धमकी दे रहा है। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार वादी की खातेदारी मे से 6 ऐयर कम किये गये रकबे को वापिस वादी की खातेदारी मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा नाजायज रूप से वादी की भूमि 6 ऐयर को नाजायज तरीके से अन्य व्यक्तियो को रहन बय करने व बैक से ऋण लेने की धमकी दी गई है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 274 ग्राम तलावडा का नजरी नक्शा शीट मे दुरूस्ती की जाकर खातेदार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे साबिक नक्शा शीट मे दर्ज वादी के हिस्से की भूमि को रहन बय नही करे ना ही अन्य से करावे तथा वादी को शांतिपूर्वक भूमि व पेडो से लाभान्वित होने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 5 के पिता एवं 6 के पति द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के मध्य दिनांक 8.6.16 को राजस्व लोक अदालत कैम्प तलावडा मे राजीनामा पेश किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने से व्यथित होकर वादी रंगलाल के पुत्र अपीलांट कमलेश द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री राजीनामे के आधार पर पारित की गई [illegible] अपीलार्थी ने कोई राजीनामा नही किया है। राजीनामा पेश करने की सहमति [illegible] नही दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

राजीनामा एवं आदेशिका दिनांक 8.6.16 पर अपीलांर्थी के कोई हस्ताक्षर नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे विधि विरूद्व राजीनामा तस्दीक किया गया है। जो सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावे के तथ्यो पर गौर नही किया है। दावा सेटलमेंट की गलत कार्यवाही के विरूद्व अपीलार्थी के साबिक रकबे की पूर्ति एवं नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती एवं घोषणा का दावा था जिसमे अपीलार्थी का हित था परन्तु अपीलार्थी के हितो के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हाल ख0न0 701,702,753,754,756,757,758,759,760,763 को सीमाज्ञान कर पक्षकारान द्वारा एक दूसरे की भूमि का कब्जा छोडने एवं कब्जा नही छोडने पर नवीन दावा पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय पारित किया है। जो पक्षकारान के मध्य अन्तहीन मुकदमेबाजी को बढावा देता है। राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याणतार्थ एवं मुकदमो मे लोक अदालतो के माध्यम से पक्षकारान की रजामंदी के आधार पर सस्ता एवं सुगम न्याय दिलाने एवं अन्तहीन मुकदमे बाजी को कम करने के लिए लोक अदालतो का न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। परन्तु उक्त भावना के विपरीत अंतहीन मुकदमो को उलझाने के उद्वेश्य से निर्णय पारित किया है। जो न्याय प्रदान करने की श्रेणी मे नही आता है। अपीलांर्थी एवं प्रत्यर्थीगण का मौके पर साबिक रिकार्ड के मुताबिक कब्जा काश्त बना हुआ है। यदि हाल रिकार्ड के हिसाब से नाप तोल की जाती है तो अपीलार्थी को अपने साबिक रिकार्ड मे दर्ज भूमि से बंचित होना पडेगा और मुकदमे बाजी बढेगी। अपीलांट का रकबा सेटलमेंट द्वारा अवैध कार्यवाही की आड मे चला जावेगा। इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने एक तरफा निर्णय पारित किया है अपीलांट प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 से अलग रहता है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वाद पत्र मे चाहा गया अनुतोष प्रदान करने के आदेश पारित करे।

रेस्पो0 के अधिवक्तागणे ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि उभयपक्ष द्वारा आपसी राजीनामा पेश किये जाने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक किया जाकर आपसी सहमति के आधार पर डिक्री पारित की गई है। प्रथमतया तो राजीनामे के विरूद्व अपील पोषनीय नही है। क्योकि राजीनामा आपसी सहमति से तस्दीक होने के वाद ही डिक्री पारित की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि राजीनामे की उनको कोई जानकारी नही थी इस बाबत उनको अधिनस्थ न्यायालय जरिये नोटिस लोक अदालत शिविर मे उपस्थित होने बाबत सूचना जारी की गई है। चूकिः लोक अदालत केम्प उसी ग्राम मे तलावडा मे आयोजित किया गया था जिसकी अपीलांट को भॅतिभांति जानकारी थी। अपीलांट को जारी सम्मन बाद तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट बाद तामिल [illegible] है। अपीलांट के पिता रंगलाल के अन्य वारिस ओमी पुत्र रंगलाल व उगन्ती बेवा रंगलाल [illegible] केम्प मे हाजिर हुए है जिनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर अधिनस्थ न्यायालय [illegible] है अपीलांट का यह कथन रहा कि वह रेस्पो0 संख्या 5 व 6 से अलग रहकर [illegible] हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

परन्तु उनके द्वारा यह नही बताया गया कि वह कौन से खसरा न0 पर कितने हिस्से पर काबिज काश्त है। राज्य सरकार द्वारा आम जन को समय पर सुलभ एवं समुचित लाभ मिल सके इस उद्वेश्य से लोक अदालत शिविरो का आयोजन किया जाता है उसी के मद्वेनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से दावा डिकी किया गया है। अपीलांट द्वारा विवाद को बढावा देने के उद्वेश्य से यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है यदि उनको राजीनामे से आपत्ति थी तो उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विधि के प्रावधानो के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर चाराजोही करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही कर सीधे अपील पेश की गई है। जो विधि विरूद्व है। अतःअपीलांट की अपील राजीरामे के विरूद्व होने से एवं खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि भूमि साबिक ख0न0 274 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम तलावडा मे सम्बत 2027 से 2030 मुताबिक जमाबंदी रही है। जिसके वे खातेदार काश्कार टीनेन्ट व साबिक ख0न0 के हाल नवीन न0 701 रकबा 0.53 है0, 702 रकबा 0.80 है0, 753 रकबा 0.21 है0, 754 रकबा 0.12 है0 किता 4 रकबा 1.66 है0 बनाये गये है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा है और प्रतिवादी संख्या 3 के पति व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता कंवरिया का हिस्सा 1/2 है। भूमि साबिक ख0न0 281 रकबा 23 बीघा 6 विस्वा का हाल ख0न0 756,757,759,760,763 बनाये गये है। हाल सेटलमेट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी व प्रफोर्मा पक्षकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की भूमि जो उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी मे से रकबा 6 ऐयर कम कर दिया। सेटलमेंट द्वारा कम किये गये रकबे को प्राप्त करने हेतु वादी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया था। सेटलमेंट विभाग द्वारा कम की गई भूमि रकबा 6 ऐयर को प्रतिवादी संख्या 1 के ख0न0 756 मे गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपसी राजीनामे के आधार पर वाद पत्र विड्रा करने की अनुमति प्रदान करते हुए विवादित आराजीयात ख0न0 701,702 ,753, 754,756,757,758,759,760,763 को सीमाज्ञान कर पक्षकारान द्वारा एक दूसरे की भूमि का कब्जा छोडने एवं कब्जा नही छोडने पर नवीन दावा पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत राजीनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजीनामे पर अपीलांट कमलेश के हस्ताक्षर नही है। अपीलांट का कथन रहा है कि वह अलग रहकर निवास करता है तथा अपने हिस्से पर अलग से काबिज काश्त है। सेटलमेंट विभाग द्वारा कम किये रकबे की क्षतिपूर्ति नापतोल व सीमाज्ञान के आधार पर नही हो सकती है। इस प्रकार अपीलांट सेटलमेट विभाग द्वारा कम किये गये रकबे की क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत राजीनामे पर अपीलांट के स... त हस्ताक्षर नही है। अपीलांट की गैर मौजूदगी मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ... प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 38/09 निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2016 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/रेस्पो0 को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30.12.24 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner